



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042022-234884
CG-DL-E-06042022-234884

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 264]
No. 264]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2022/चैत्र 16, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2022/CHAITRA 16, 1944

आयुष मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 04 अप्रैल, 2022

सा.का.नि. 276(अ).—केंद्रीय सरकार, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33ड की उपधारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषध नियम 1945 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों संक्षिप्त नाम औषध (चौथा संशोधन) नियम, 2022।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. औषध नियम 1945 में (क) नियम 153 के दूसरे परंतुक में “छह माह के भीतर” शब्दों के स्थान पर “अठारह माह के भीतर” शब्द रखे जाएंगे।

(ख) नियम 153क के दूसरे परंतुक में “छह माह के भीतर” शब्दों के स्थान पर “अठारह माह के भीतर” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) प्ररूप 26घ और प्ररूप 26ड. का लोप किया जाएगा।

[एफ.सं. टी-11011/7/2021-डीसीसी (आयुष)]

कविता गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में तारीख 21 दिसम्बर, 1945 की अधिसूचना सं. एफ. 28-10/45-एच(1), द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन सा.का.नि. 158(अ), तारीख 24 फरवरी, 2022 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF AYUSH

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2022

G.S.R. 276(E).—In exercise of the powers conferred by proviso of sub-section (1) of section 33N of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Drugs Rules, 1945, namely,—

1. **Short title, and commencement.**— (1) These rules may be called the Drugs (4th Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Drugs Rules, 1945, (a) in rule 153, in the second proviso, for the words “within six months” the words “within eighteen months” shall be substituted;

(b) in Rule 153A, in the second proviso, for the words “within six months”, the words “within eighteen months” shall be substituted;

(c) FORM 26 D and FORM 26 E shall be omitted.

F.No. T-11011/7/2021-DCC(AYUSH)

KAVITA GARG, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, *vide*, notification No. F. 28-10/45-H(1), dated the 21st December, 1945 and last amended, *vide*, notification number G.S.R. 158 (E), dated the 24th February, 2022.